पलाड़ा

"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| वादी | ब ना म | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| अमराराम पुत्र बोइराम जाट निवासी | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

**वाद–पत्र नम्बर** 175 **/2021** **GCMS No.** 2021/874

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 23/11/2021 | वादी श्री अमराराम पुत्र बोइराम जाति जाट निवासी रतकुडिया द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पलाड़ा में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2075 ग्राम रतकुडिया पटवार मण्डल नारायणपुरा के खाता नम्बर 2 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि अमरा पुत्र बोइ दर्ज है, जो अशुद्व है।<br>वादी का शुद्व नाम अमराराम पुत्र बोइराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. – आधार नम्बर 2728 4688 4878 मतदाता पहचान पत्र – अन्य दस्तावेज – की छाया प्रति प्रस्तुत की है।<br>इस संबंध में हल्का पटवारी नारायणपुरा भू.अ.नि. नवाबपुरा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है।<br>अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा अमल जाकर नकल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर होकर दाखिल दफ्तर हो। | 752-754 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.21 12:44:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)